



37

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

सत्या देवी कौर वनाम उकाश मठ

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	<p>अभिलेख सं०-एम...28.../2018 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रगारी सिनाहातु के अप्राथमिकी सं०-05/18 दिनांक-09-03-18 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि आपसी विवाद के कारण उभय पक्ष में लड़ाई है।</p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उभय/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रु० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि 06-04-18 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित</p> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।</p> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।</p> <p>धीरेश्वर पदाधिकारी बुनाक नगर पंचायत कार्य के लक्ष्य। दिनांक 27-04-18 से शुरू।</p>	

06/04/18

तिथि

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

2-10-18

अभिलेख उपस्थापित । प्रथम पत्र
अधिवक्ता हाजरी द्वितीय पत्र उपस्थापित ।
प्रथम पत्र अगली तिथि को ~~अभिलेख~~
उत्तर शाखल को दिनांक 02-11-18
को 22वे ।

[Signature]
12/10/18

02-11-18

अभिलेख उपस्थापित । प्रथम पत्र
क्रमांक 02 उपस्थापित क्रमांक 01 अनुपस्थापित
द्वितीय पत्र उपस्थापित । अन्तर्वाद में
6 (छः) माह की अवधि छपी है इसकी
है अन्तर्वाद कालबाधित हो गया है
अन्तर्वाद में अभिलेख की कारवाही
बन्द की जाती है ।

[Signature]
24/11/18